● केंद्र का फैसला-एजीआर बकाया भुगतान चार साल टाला ● बार-बार केवाईसी कराना भी जरूरी नहीं

दूरसंचार क्षेत्र में सीधे 100% विदेशी निवेश

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। सरकार ने स्वतः मंजूरी के साथ 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इससे विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर पाएंगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वहीं, कनेक्शन लेने के लिए बार-बार केवाईसी कराना जरूरी नहीं होगा। कंपनियां स्पेक्ट्रम आसानी से साझा करेंगी, जिससे कनेक्टिविटी में आने वाली दिक्कतें भी दूर होगी।

एजीआर भुगतान में राहतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कंपनियों को एजीआर का बकाया भुगतान करना था पर फिलहाल इसे चार साल के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, कंपनियों को इस अवधि में ब्याज चुकाना होगा। सरकार के पास टाली गई राशि को मोहलत अवधि के अंत में इक्विटी में बदलने का विकल्प भी होगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2021 को छोड़कर पिछली नीलामियों में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए भी मोहलत दी जाएगी। इस फैसले से आइडिया-वोडाफोन जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। इनपर करोड़ों रुपये एजीआर बकाया है, जिससे वे दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई हैं। अब इन पैसों से कंपनियां खुद को खड़ा कर सकेंगी व ग्राहकों को नए ऑफर दे पाएंगी।

एजीआर की परिभाषा भी बदली गईः दूरसंचार विभाग अब तक कंपनियों से स्पेक्ट्रम प्रयोग का चार्ज व लाइसेंस शुल्क वसूलता था। एजीआर की गणना कंपनी को होने वाली संपूर्ण आय के आधार पर होती थी चाहे आय कहीं से भी हुई हो। कंपनियों का तर्क था कि गणना टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली आय पर हो। इसे देखते हुए सरकार ने परिभाषा बदल दी है। अब गैर-दूरसंचार आय को आगे से हटाने का निर्णय किया है पर कंपनियों को पहले से तय कुछ प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

एजीआर के रूप में कंपनियों पर करोड़ों रुपये की देनदारी

- भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशंस पर लाइसेंस शुल्क के रूप में केंद्र का 92,000 करोड़ रुपये बकाया है
- स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क मद में इन कंपनियों को 41,000 करोड़ रुपये से ज्यादा सरकार को चुकाने हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए कंपनियों को 10 साल के अंदर पूरा पैसा चुकाने का आदेश दिया है

फैसले और असर

लाइसेंस 30 साल के लिए

- कंपनियों को लाइसेंस 20 साल की जगह 30 साल के लिए दिया जाएगा। 10 साल के लिए स्पेक्ट्रम लॉक इन पीरियड में रहेगा, जो कंपनियां स्पेक्ट्रम वापस लौटाना चाहेंगी वे शुल्क चुकाकर स्पेक्ट्रम वापस कर सकेंगी।
- नीलामी में किश्त भुगतान को सुरक्षित करने के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। यह बड़ा फैसला है जिससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

स्पेक्ट्रम साझा में अब बाधा नहीं

- स्पेक्ट्रम साझा करने में पहले कई शुल्क लगते थे। कनेक्टिविटी में समस्या आती थी। अब कंपनियां स्पेक्ट्रम साझा करेंगी क्योंकि सरकार ने इस पर लगने वाला शुल्क शून्य कर दिया है।

विदेशी निवेश से बड़ा लाभ संभव

- 100% विदेशी निवेश से कंपनियों के समक्ष नकदी की समस्या दूर होगी। विदेशी कंपनियां अब भारत की किसी कंपनी में अपना पूरा पैसा लगा सकेंगी या उसे खरीद भी सकेंगी। 5जी मोबाइल नेटवर्क की नीलामी के समय असर दिख सकेगा।
- 1953 के कस्टम कानून में संशोधन किया जाएगा जिससे कंपनियां आसानी से वायरलेस उपकरणों का आयात कर सकेंगी। उन्हें सिर्फ सेल्फ डेक्लेरेशन देना होगा।

डिजिटल फॉर्मेट से ग्राहकों का सत्यापन होगा

- अब प्रीपेड से पोस्ट-पेड मोबाइल कनेक्शन तथा पोस्ट-पेड से प्रीपेड कनेक्शन के लिए नए सिरे से केवाईसी की जरूरत नहीं होगी
- तमाम सारे फॉर्म भरने का झंझट खत्म, अब डिजिटल फॉर्मेट में ग्राहकों का सत्यापन होगा। इसके लिए ऐप आधारित डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।

वाहन उद्योग के लिए 26 हजार करोड़ का पैकेज

वाहन उद्योग को गति देने को सरकार ने 26,058 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इससे 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के नए मौके तैयार होंगे।

व्योरा पेज 15